न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 2604/2016 प्रार्थना पत्र

मांगीलाल पिता बंशीलाल शुक्ला ब्राह्मण, आयु 75 साल, निवासी आक्या, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

गजेन्द्र सिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कदमाली, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 26.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातदोरी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा आक्या की आराजी नं. 35, 106, 145 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1200 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इस भूमि पर करीब 3 वर्ष पूर्व पडोसी खातेदारान द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया जिस पर प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी करवाई जिसका मुकदमा नम्बर 46/2013 होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.20103 को आदेश प्रदान किया गया। करीब दो वर्ष पूर्व आराजी नं. 35 रकबा 0.5000 हेक्टेयर पर विपक्षी ने जबरन कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने विपक्षी को कब्जा हटाने हेतु कहा तो विपक्षी इन्कार हो गया तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर नीवं आदि खोदकर पक्का निर्माण करने पर आमदा है। प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा विपक्षी जबरन जो निर्माण कार्य कर रहा है उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से कब्जा हटाया जावे व पक्का निर्माण कार्य विपक्षी के खर्चे से हटवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विपक्षी का जवाब बन्द किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम आक्या की खाता संख्या 106 अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। पर्चा मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक दिनांक 12.05.2016 अनुसार आराजी नं. 35 के 0.

5000 हैक्टेयर पर विपक्षी का कब्जा होना अंकित है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष का बनता है। विपक्षीगण को रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षी गजेन्द्र सिंह को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षी गजेन्द्र सिंह प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात मौजा आक्या की आराजी नं. 35, 106, 145 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1200 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें, कोई निर्माण आदि नहीं करें, मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें तथा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 26.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा